रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243794
CG-DL-E-22022023-243794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944
No. 98]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 120(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 57 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (यख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन : -इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में उल्लिखित पदों के पदधारियों को, जो उक्त पदों पर इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले नियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व उनके द्वारा धारित संबंधित पदों पर उनके द्वारा की गई निरंतर सेवा की

गणना परिवीक्षा, ज्येष्ठता, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, सेवा में पुष्टिकरण तथा पेंशन की अवधि के प्रयोजनों के लिए की जाएगी।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स के स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त रजिस्ट्रार	1* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 13 (123100-215900 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नत होने की स्थिति में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त रीति द्वारा: (प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन ऐसे अधिकारी; - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रुपये 78800-209200) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री हो। **टिप्पण 1:** बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रुपये 78800-209200) में ऐसे विभागीय उप-रजिस्ट्रार के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उसका उस पद पर चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**खोज-सह-चयन समिति (अभ्यर्थी के चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (i) सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; (ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य; (iii) रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप-रजिस्ट्रार	1* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 12 (78800-209200 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त रीति द्वारा: (प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति)

(11)	(12)	(13)
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन ऐसे अधिकारी; - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रुपये 67700-208700) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री हो। **टिप्पण 1**: बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रुपये 67700-208700) में ऐसे विभागीय सहायक रजिस्ट्रार के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उसका उस पद पर चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	खोज-सह-चयन समिति (अभ्यर्थी के चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; (ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य; (iii) रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	1* (2023) * कार्यभार	समूह 'क'	स्तर 12 (₹78800-209200).	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त रीति द्वारा: (प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति)

(11)	(12)	(13)
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन ऐसे अधिकारी; - (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव के सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) ऐसे प्रधान निजी सचिव, जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रुपये 67700-208700) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण 1:** बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रुपये 67700-208700) में ऐसे विभागीय प्रधान निजी सचिव के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उसका उस पद पर चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	खोज-सह-चयन समिति (अभ्यर्थी के चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; (ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य; (iii) रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक रजिस्ट्रार	4* (2023) * कार्यभार के	समूह 'क'	स्तर 11 (₹67700-208700).	चयन	लागू नहीं होता

	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रुपये) में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रूपये 56100-177500) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; या	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य। 3. निदेशक या उप-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य; विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य। 3. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	लागू नहीं होता।

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रूपये 47600-151100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री हो। **टिप्पण 1:** बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रुपये 78800-209200) में ऐसे विभागीय उप-रजिस्ट्रार के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उसका उस पद पर चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. प्रधान निजी सचिव	1* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर 11 (67700-208700 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे निजी सचिव या कोर्ट मास्टर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 (₹47600-151100) में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	2. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य। 3. निदेशक या उप-सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य; विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य। 3. संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग – सदस्य।	

[फा. सं. जे-1/9/2020-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2023

G.S.R. 120(E).—In exercise of the powers conferred by clause (zb) of sub-section (2) of section 101 read with sub-section (3) of section 57 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Consumer Disputes Redressal Commission (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution. – The incumbents of the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules who were appointed to the said posts before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the continuous service rendered by them in the respective posts held immediately before the commencement of these rules shall count for the purposes of the period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

3. Number of posts, classification, level in pay matrix – The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Joint Registrar	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 13 (₹123100-215900)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method: Deputation/promotion

In the case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts:— (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 (₹78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing a Degree in Law from a recognized University. **Note 1:** The departmental Deputy Registrar in level-12 (₹78800-209200) in the pay matrix with five years of regular service in the grade shall also be considered along	Search-cum-Selection Committee (for considering selection of candidate) consisting of :— (i) Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; (ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Consumer Affairs – Member; (iii) Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member.	Not applicable.

with outsiders and in case, he is selected, the post will be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Registrar.	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 12 (₹78800- 209200).	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method: Deputation/promotion

(11)	(12)	(13)
Officers under the Central Government or the State Governments or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11 (₹67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing a degree in Law from a recognized University. **Note 1:** The departmental Assistant Registrar in level-11 (₹67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case, he is selected, the post will be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.	Search-cum-Selection Committee (for considering selection of candidate) consisting of: (i) Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; (ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Consumer Affairs – Member; (iii) Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member.	Not applicable.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Principal Private Secretary.	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Level 12 (₹78800-209200)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By composite method: Deputation/promotion.

(11)	(12)	(13)
Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts:— (i) holding analogous posts of Senior Principal Private Secretary on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Principal Private Secretary with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11 (₹67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental Principal Private Secretary in level-11 (₹67700-208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case, he is selected, the post will be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	Search-cum-Selection Committee (for considering selection of a candidate) consisting of :— (i) Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; (ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Consumer Affairs – Member; (iii) Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Registrar.	4* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level 11 (₹67700-208700).	Selection.	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	(i) fifty per. cent by promotion failing which by deputation. (ii) fifty per. cent by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Section Officers having eight years' regular service in level 8 (₹47600-151100) in the pay matrix; **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government or the State Government or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or the Supreme Court or High Courts;— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (₹56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-8 (₹47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing a Degree in Law from a recognized University. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including the period of deputation) in another *ex-cadre* post held immediately preceding appointment to this post in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member.	Not Applicable.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Principal Private Secretary.	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	Group ‘A’.	Level 11 (₹67700-208700)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Private Secretary or Court Master having eight years' regular service in level-8 (₹47600-151100) in the pay matrix. **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Director or Deputy Secretary, Department of Consumer Affairs – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Member, National Consumer Disputes Redressal Commission – Chairperson; 2. Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member; 3. Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission – Member.	Not applicable.

[F. No. J-1/9/2020-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.22 22:39:50 +05'30'